बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार

बिहार सरकार

सुरक्षित बचपन-विकसित समाज

द्वितीय तल, अपनाघर (ललित भवन के पीछे), बेली रोड, पटना–23, बिहार। ✉–scps-bih@gov.in; ☎–0612 2545033

पत्रांक–09/रा०बा०सं०स०(CNCP)01/2016 (पार्ट-2)-07

प्रेषक,

राज कुमार, भा०प्र०से०,
निदेशक, समाज कल्याण–सह–
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
बिहार।

पटना, दिनांक– 7.01.2021

विषयः– **बाल संरक्षण के मुद्दे पर संवेदनशील प्रखंडों में बाल संरक्षण समितियों की बैठक आहुत कर कार्ययोजना बनाने के संबंध में।**

महाशय,

जैसा कि आप सब को विदित है कि बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों यथा बाल श्रम, बाल व्यापार, बाल विवाह, बच्चों के विरूद्ध दुर्व्यवहार आदि मुद्दों पर निषेधात्मक तंत्र के रूप में प्रखंड, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में जारी दिशानिर्देश के आलोक में विभिन्न जिला बाल संरक्षण इकाईयों द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूर्व में आयोजित किए गए हैं। बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों से संबंधित आंकडे जो समय–समय पर प्रकाशित होते रहते हैं, उनके अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बाल श्रम, बाल व्यापार, बाल विवाह, बच्चों के विरूद्ध दुर्व्यवहार आदि जैसे विषयों पर कई जिले संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदा, गरीबी, समुदाय में जागरूकता का अभाव एवं स्थानीय जन–प्रतिनिधियों द्वारा बाल संरक्षण से जुड़े विषयों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं देने के कारण सामुदायिक स्तर पर निषेधात्मक तंत्र सुदृढ़ नहीं हो सका है। इस दिशा में वर्ष 2016 से पूरे राज्य में स्थानीय स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन एवं कार्यान्वियन के जरिए एक सकारात्मक पहल की जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में अपने जिले के कम–से–कम पाँच ऐसे प्रखंड जो बाल संरक्षण के उपरोक्त मुद्दों पर आपके अपने कार्यानुभव एवं आंकड़ों आदि के आधार पर बेहद संवेदनशील हैं अर्थात् जहाँ से इस प्रकार के मामले अधिकाधिक संख्या में सामने आते हैं, उन्हें चिह्नित करते हुए उनमें बाल संरक्षण समितियों (CPC) से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित किए जाने हैं:–

1. संबंधित प्रखंडो में समिति के विहित प्रारूप के अनुरूप प्रखंड, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के सदस्यों का चयन एवं त्रैमासिकी बैठकों का आयोजन।
2. संबंधित प्रखंडों में बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों के मद्देनज़र संवेदनशील पंचायतों एवं वार्डो को चिह्नित करना तथा सघन रूप से सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान का संचालन।
3. बाल संरक्षण समितियों (CPC) में नामित बाल प्रतिनिधियों के साथ बाल संरक्षण के विभिन्न विषयों पर उन्मुखीकरण कार्यक्र म का आयोजन।
4. प्रखंड कार्यालयों, विद्यालयों, ग्राम पंचायत के भवनों एवं चौक–चौराहों पर बाल संरक्षण से जुड़े योजनाओं, जागरूकता संदेशों, दत्तकग्रहण, चाइल्डलाइन इत्यादि के बारे में दीवाल–लेखन, बैनर, होर्डिंग इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार।
5. बाल संरक्षण समितियों (CPC) में नामित पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

उपरोक्त के आलोक सभी को निदेश दिया जाता है कि उक्त सभी कार्यक्रम जनवरी से मार्च के बीच अनिवार्य रूप से संचालित कर ले तथा इससे संबंधित मासिक प्रतिवेदन CPMIS में जिला बाल संरक्षण इकाई की रिपोर्ट में दर्शाते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी भेजना सुनिश्चित करें। इस संबंध में आपके जिले में कार्यरत् विभिन्न संस्थाओं यथा–यूनिसेफ, प्लान इंडिया, सेव द चिल्ड्रेन, एक्शन एड, वर्ल्ड विज़न, बाल सखा, भूमिका विहार, सेंटर डायरेक्ट या अन्य संस्थाएँ जिनका बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का विशेष अनुभव हो, का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

निदेशक, समाज कल्याण, सह–
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।